



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A Constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

SITTING NOTICE

File No NCST/SER-1477/MTAF/2/2024-SSW

Dated:- 05.09.2024

सेवा में,

- | | |
|--|---|
| 1. डॉ. राहुल हरिदास फटिंग
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
बड़वानी, जिला-बड़वानी,
जिला - बड़वानी (मध्य प्रदेश)
Email Id: dmbawani@nic.in
Tel. No: 7290224001 | 2. श्री शक्ति सिंह चौहान
सहायक आयुक्त,
जनजातीय कार्य विभाग,
जिला - बड़वानी (मध्य प्रदेश)
Email Id: actw.bd@mp.gov.in
Tel. No: 7290222891 |
|--|---|

विषय:- जनजातीय कार्य विभाग, जिला - बड़वानी प्रशासन द्वारा अनुसूचित जनजाति की महिला कर्मचारियों की जातिगत आधार पर सेवा समाप्त करने के संबंध में :- श्रीमती मधुबाला सेनानी, श्रीमती इमला रावत; श्रीमती भुरबाई डावर का अभ्यावेदन।

संदर्भ:- NCST के समसंख्यक नोटिस दिनांक 02.09.2024

महोदय,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निर्णय लिया है।

- श्री जे. हुसेन, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच / की जाने वाली कार्रवाई के लिए आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली में दिनांक **10.09.2024 को 5:20 बजे** सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।
- तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से सम्बंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/ दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
- कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

(आर.एस.मिश्र / R.S. Misra)

अनुसंधान अधिकारी / Research Officer

Phone -24641640

Copy to :-

श्रीमती मधुबाला प्रेमकुमार सेनानी एवं अन्य
वार्ड क्रमांक 01 देवझिरी कॉलोनी
बी आर सी भवन के पीछे, सेंधवा,
जिला - बड़वानी (मध्य प्रदेश)

(यह सूचित किया जाता है कि दिनांक **10.09.2024 को 5:20 बजे** आयोजित सिटिंग में, आयोग के न्यायालय कक्ष, छठी मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली -110003 में उपस्थित हो।)